(ग) देश में बेरोजगारी दूर करने हेतु सरकार की विस्तृत कार्य-योजना क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) सामान्य मुख्य स्थिति (यू पी एस) के अनुसार, देश में बेरोजगार लोगों की संख्या का अनुमान 1 जनवरी, 1994 को 9.0 मिलियन लगाया गया है। इनमें से 4.71 मिलियन ग्रामीण क्षेत्रों में हैं।

(ख) 1 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार, 9.0 मिलियन बेरोजगारों में से 5.48 मिलियन शिक्षित हैं।

(ग) नौवीं योजना के दृष्टिकोण में उत्पादक रोजगार को प्राथमिकता दिए जाने पर विचार किया गया है, जो बेरोजगारी और अल्प रोजगार की उच्च दर वाले क्षेत्रों में श्रम सघन क्षेत्रकों, उप-क्षेत्रकों और प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केन्द्रित करने से विकास की प्रक्रिया में स्वतः सृजित होंगे।

सरकार गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना तथा रोजगार आश्वासन स्कीम। शहरी क्षेत्रों में, 1.12.1997 से स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना (एस जे एस आर वाई) चालू है, वह भी गरीबों को लाभजनक रोजगार उपलब्ध कराती है। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय योजना के रूप में प्रधान मंत्री रोजगार योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पर प्रतिबंध

3343. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित किसी भी नई योजना को शुरू करने पर इस समय प्रतिबंध लगा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबंध कब से लागू है और इसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 16.1.97 को हुई इसकी बैठक में सर्वसम्मति से यथाअनुमोदित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के दृष्किोण पत्र में यह सहमति हुई थी कि "सिद्धांत रूप में, केन्द्र प्रायोजित स्कीमें (सीएसएस) अंतर राज्यीय प्रकृति की स्कीमों, राष्ट्रीय सुरक्षा पर अतिक्रमण के मामलों, चुनिंदा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं जहां प्रचालनात्मक कारणों की वजह से केन्द्रीय समन्वय आवश्यक है, तक सीमित की जानी चाहिएं। इस प्रकार की स्कीमों के अलावा अन्य सभी स्कीमें तदनुरूपी निधियों सहित राज्यों को हस्तांतरित कर दी जानी चाहिएं।"

केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) को राज्यों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को योजना आयोग में अंतिम रूप दिया जा रहा है।

Additional Plan support to Andhra Pradesh

3344. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the additional plan support for 1998-99 Annual Plan sought by the Andhra Pradesh Government;

(b) whether additional plan of Rs. 750/- crores for the State's Annual Plan for 1995-96 has not yet been released;

(c) if so, the reasons therefore; and

(d) the measures taken to release additional plan support for the 1998-99 annual plan, as requested by the Andhra Pradesh Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS, THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI RAM NAIK): (a) The State Government has yet to submit Annual Plan 1998-99 proposals.